कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/वरि/के-4/राशिसेनियम-21/वो-1/58/2023 दिनांकः 27.06.2023

अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

विषयः- भर्ती परीक्षाओं में लिए जाने वाले ऑन-लाईन आवेदन में लिंग के कॉलम में उभयलिंगी (ट्रांसजेण्डर) अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने एवं उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण दिये जाने बाबत।

प्रसंगः- शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर का निर्देश पत्रांकः प.17 (55) शिक्षा-2/उभयलिंगी समुदाय/ 2023-07550, जयपुर, दिनांकः 09.06.2023

संदर्भः- प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग का निर्देश पत्रांकः प. 21 (1) कार्मिक/क-2/2023 (29)-07625, जयपुर दिनांकः 26.05.2023

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत संलग्न प्रेषित संदर्भित शासकीय निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांकः 12.01.2023 के द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में उभयलिंगी (ट्रांसजेण्डर) समुदाय को क्रम संख्या-92 पर सम्मिलित किया गया है।

उक्त क्रम में वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आवेदन पत्र में लिंग के चयन हेतु विकल्प में पुरुष एवं महिला के साथ तृतीय विकल्प अन्य का दिया जा रहा है। उक्त दोनों भर्ती एजेंसियों के अतिरिक्त किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से भर्ती कराये जाने पर आवेदन पत्र में उक्त विकल्प (अन्य) दिये जाने सम्बन्धी निर्देशों की पालना करवाई जाने की सुनिश्चितता करावें।

तदनुसार संलग्न प्रेषित शासकीय पत्रों में उल्लिखित निर्देशें की अक्षरशः पालना सर्वोच्च प्राथमिक्ता से करवाये जाने की सुनिश्चितता करावें।

संलग्नः- यथोक्त।

(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Dharmendra Kumar Joshi
Designation : Joint Director
Date: 2023.06.27 16:06:48 IST

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ/प्रदत्त निर्देशों की पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रांसगिक पत्र के क्रम में प्रति सूचनार्थ प्रेषित है।
2. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय हाजा।
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. संयुक्त निदेशक, (कार्मिक/प्रशिक्षण), कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. उप निदेशक, (प्रशासन/महात्मा गांधी विद्यालय), कार्यालय हाजा।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. वरिष्ठ सम्पादक–शिविरा प्रकाशन को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
12. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर/अजमेर।
13. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
14. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
15. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
16. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
18. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
19. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
20. रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुकत निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Dharmendra Kumar Joshi
Designation : Joint Director
Date: 2023.06.27 16:06:48 IST